न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 54/2017

रमेश चन्द्र पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. जगन्नाथ
2. मोहनलाल
3. रामगोपाल
4. जमनालाल
5. सीताराम

पिसरान बद्रीलाल जाति धाकड निवासीगण रींझिया तहसील मांगरोल

6. उर्मिला बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड निवासी रींझिया तहसील मांगरोल जिला बारां
7. पाना बाई पत्नि रामकिशन
8. मुकेश पुत्र रामकिशन
9. चमेली बाई पुत्री रामकिशन
10. कौशल्या बाई पुत्री रामकिशन
11. मनभर बाई पुत्री रामकिशन
12. छोटी बाई पुत्री रामकिशन

जातियान धाकड निवासीगण लुहावद चौराया के पास अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा

13. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टा बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 30.06.2017

निर्णय दिनांक : 09.01.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त उनवान के प्रकरण में सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.11.2018 का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 12 के शामलाती खाता सं0 64 ग्राम रींझिया तहसील मांगरोल में खसरा नं0 268 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 270 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 285 रकबा 0.85 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 327 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 362 रकबा 2.10 है0, खसरा नं0 443 रकबा 0.02 है0 कुल किता 7 रकबा 4.28 है0 आराजी स्थित है। वादी, रामनारायण का पुत्र है और कुल आराजी में से 1/2 हिस्से का सहखातेदार है, शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी कम 1 लगायत 12 काबिज काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 12 के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है, और राजीनामा अनुसार वादी वर्तमान में खसरा नं0 362 रकबा 1.30 है0 दक्षिण दिशा, खसरा नं0 327 रकबा 0.42 है0 व खसरा नं0 268 रकबा 0.42 है0 कुल 2.14 है0 आराजी पर काश्त कर रहा है। वादी के कब्जे काश्त का रकबा 2.14 है0 कुल

का 1/2 हिस्सा होता है। प्रतिवादी कम 1 ता 12 आये दिन कब्जे काश्त आराजी को लेकर झगडा कर रहते है, जबकि वादी व प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार अपने–अपने हिस्सो पर काश्त कर रहे है, वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण से कह दिया है कि अपना खाता अलग–अलग करा लो लेकिन प्रतिवादीगण खाता अलग कराने को तैयार नहीं है। अतः उक्त वर्णित खाता सं0 64 में दर्ज कुल किता 7 आराजी 4.28 है0 वाके ग्राम रिंझीया पृथक किया जाकर पृथक से खाते में दर्ज करें पृथक से लगान कायम करके पृथक नक्शा की कायम करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.06.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फायल है। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित प्रतिवादीगण कम 7 ता 12 को एक्स पाटी किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में दिनांक 14.11.2018 को रमेशचन्द पुत्र रामनारायण निवासी बमोरीकलां के बयान कराये गये।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 14.11.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। वकील वादी द्वारा आराजी को कब्जे अनुसार ही पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एव सुनी गयी बहस के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि आराजी वाके माल ग्राम रींझिया तहसील मांगरोल में खाता सं0 64 खसरा नं0 268 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 270 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 285 रकबा 0.85 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 327 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 362 रकबा 2.10 है0, खसरा नं0 443 रकबा 0.02 है0 कुल किता 7 रकबा 4.28 है0 में मौके पर कब्जे अनुसार वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण कम 1 ता 12 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्र कमांक/भू0अ0/2018/5589 दिनांक 21.12.2018 से बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की। जो शामिल फाईल किया गया। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व पत्रादि का अवलोकन किया गया। तदनुसार फाईनल बंटवारा निम्न प्रकार हुआ है, जो सहमति के आधार पर हुआ है। सहखातेदारो के मध्य निम्न प्रकार विभाजन स्वीकार किया जाता है:–

[illegible]चन्द्रचंद्र पुत्र रामनारायण धाकड निवासी बमोरीकलां खातेदार रहन बारां केन्द्रिय सहकार बैंक लिमिटेड शाखा मांगरोल को ग्राम रीझंया की आराजी खसरा नं0 268 रकबा 0.42 है0 किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं0 327 [illegible] रकबा 0.42 है0 किस्म माल प्रथम, खसरा नं0 362 दक्षिणी रकबा 1.30 है0 किस्म नहरी प्रथम कुल किता 3 कुल रकबा 2.14 है0।

02. नाथी बाई पत्नी स्व0 बद्रीलाल, जगन्नाथ, मोहनलाल, रामगोपाल, जमनालाल, सीताराम पि0 बद्रीलाल हि0 7/8 पानाबाई पत्नी स्व0 रामकिशन, मुकेश कुमार पुत्र रामकिशन, चमेली, कोशल्या, मनभर, छोटी पुत्रीयां रामकिशन हि0 1/8 जाति धाकड सा0 देह को ग्राम रींझया की आराजी खसरा नं0 268 रकबा 0.18 है0 किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं0 270 रकबा 0.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं0 285 रकबा 0.85 है0 किस्म नहरी प्रथम, खसरा नं0 310 रकबा 0.02 है0 किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं0 362 उत्तरी रकबा 0.80 है0 किस्म नहरी प्रथम, खसरा नं0 443 रकबा 0.02 है0 किस्म नहरी उत्तम कुल किता 6 रकबा 2.14 है0।

तदनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन